आगामी बजट (2015–16) में राज्य सरकार से अपेक्षाएँ एवं माँगें

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर द्वारा आगामी बजट 2015–2016 के संबंध में लोगों, जनसंगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की अपेक्षाओं एवं मांगों का जानने हेतु दो कार्यशालाओं (राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय) का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कार्यशाला दिनांक 29–60 अक्टूबर, 2014 को जयपुर में आयोजित की गयी जिसमें राज्य के करीब 65 जनसंगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यशाला दिनांक 19–20 दिसंबर, 2014 को जोधपुर में आयोजित की गयी जिसमें राज्य के करीब (मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के) 45 जनसंगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दोनों कार्यशालाओं में राज्य के विभिन्न मुद्दों पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आगामी बजट के संदर्भ में चर्चा की गयी जिससे विभिन्न विषयों एवं मुद्दों से संबंधित बहुत सी अपेक्षायें एवं माँगें उभर कर आई। यहां इन मांगों एवं अपेक्षाओं को विषयानुसार दिया गया है।

बजट में पारदर्शिता :

1. पारदर्शिता –

- बजट घोषणाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी देने के लिये सी.एम.आई.एस. को आमजन के लिये खोला जाये।
- हर वर्ष पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं का प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाये जिसमें सभी बजट घोषणाओं की वार्षिक प्रगति की जानकारी प्रदान की जाये।
- सरकार सभी विभागों का "परफोरमेंस एवं आउटकम बजट" बनवाना सुनिश्चित करे तथा विभाग उसे विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।
- सभी विभागों को हुये बजट आवंटन एवं खर्च का विवरण जिलावार भी उपलब्ध कराया जाये।
- स्थानीय निकायों (शहरी तथा ग्रामीण) को आवंटित वार्षिक बजट के विरूद्ध खर्च की जिलेवार सूचना उपलब्ध करवाई जाये।
- स्थानीय निकायों को आवंटित राशि में प्रत्येक ब्लॉक, ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका, नगर परिषद को आवंटित राशि की अलग अलग जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

2. जेंडर बजट

- जेण्डर बजट विवरण विभागवार और/ या मुख्य शीर्षवार उपलब्ध कराया जाना चाहिये। ताकि सभी विभाग अपनी गतिविधियों को जेण्डर संवेदनशील बना सके।
- वर्तमान जेंडर बजट विवरण में भी किसी एक विभाग के सभी बीएफसी के आकड़े एक साथ देकर इस विवरण को विभागवार बनाया जा सकता है।
- श्रेणी (A,B,C,D) पूरे योजना / कार्यक्रम को दी जानी चाहिए न कि उनके तीन भागों को।
- लाभार्थियों के लिंगवार ऑकड़े इकठ्ठा किए जाने चाहिए तथा उनको जेण्डर बजट का आधार बनाया जाना चाहिए।

शिक्षा :

1. भौतिक सुविधा :

- सर्व शिक्षा अभियान को आधारभूत संरचना हेतु पर्याप्त बजट आवंटित किया जाये ताकि जर्जर और असुविधा ग्रस्त विद्यालयों के निर्माण को पूरा किया जा सके।
- ब्लॉक शिक्षा कार्यालय एवं जिला शिक्षा कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ एवं सुविधायें मुहैया करवाई जानी चाहिये, ताकि उनके स्तर के कार्य समय से पूरे किये जा सकें।
- स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु अन्य व्यक्ति नियुक्त किये जायें ताकि शिक्षक अपनी शैक्षिक गतिविधियों को पूरा कर सके।

2. पहुंच

- शिक्षा तक बच्चों की पहुंच को सुगम बनाने हेतु आवश्यक सड़क मार्ग, पुलिया अथवा परिवहन की पुख्ता व्यवस्था की जाये।
- आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय खोले जायें ताकि सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चे भी शिक्षा से सतत् रुप जुड़ सकें।
- इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में नये अवस्थापन/चकबंदी (Settlement) के बाद बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये हैं अतः उनको विद्यालयों से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किये जायें।
- विद्यालयों के समावेशन के बाद से दूरी बढने के कारण आदिवासी एवं पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये हैं अतः समावेशन की पुनः समीक्षा की जाये।

3. गुणवत्ता :

- सरकारी स्कूल सुविधा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित किये जायें। ताकि लोगों का भरोसा सुदृढ़ हो सके।
- विद्यालयों में सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था को ठीक से लागू किया जाये तथा इसके लिये बजट में विशेष प्रावधान किये जायें।

4. पारदर्शिता एवं जबावदेही :

- शिक्षा के अधिकार कानून के बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक छः माह में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया अपनाई जावे।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्कूल भवनों की दीवारों पर कुछ आवश्यक सूचनायें प्रदर्शित होने का प्रावधान होना चाहिये जैसे कि उस क्षेत्र में कुल बच्चों की संख्या, कुल नामांकित बच्चे, कुल शिक्षा से वंचित बच्चे, कुल स्वीकृत शिक्षकों के पद तथा खाली पद, उनका मासिक वेतन, एसएमसी सदस्यों की सूची और बच्चों को प्राप्त उनके शिक्षा के हक आदि।

स्वास्थ्य एवं पोषण :

1. भौतिक एवं मानवीय सुविधायें :

- राज्य में बड़ी संख्या में आंगवाड़ी केन्द्रों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं एवं ये किराये के भवनों में चल रहे हैं। साथ ही इन केन्द्रों पर विभिन्न सुविधाओं एवं सेवाओं की स्थिति भी बेहद खराब है। अतः आंगवाड़ी केन्द्रों को स्वयं के भवन सभी सुविधाओं सहित मुहैया करवाये जायें।

- राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों, नर्सों एवं अन्य संवर्गों के कई पद रिक्त हैं जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। अतः राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने हेतु सरकार को इस क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने पर ज़ोर देना चाहिये।
- प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs & CHCs) पर पेयजल, शौचालयों आदि सुविधाओं के साथ सफाई की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित हो।
- सरकारी चिकित्सा संस्थाओं विशेषकर प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सों एवं चिकित्सकों के लिये आवास की व्यवस्था होनी चाहिये।

2. पहुंच

- महिलाओं के प्रसव के दौरान परिवहन हेतु निजी वाहनों को किराया प्रति किमी. बहुत कम प्रदान किया जाता है अतः निजी वाहनों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रति किमी. किराये में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिये।

4. गुणवत्ता, निगरानी, जबावदेही एवं अन्य :

- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई समितियों (VHSCs) को क्रियाशील (Active) एवं मजबूत करने के साथ ही सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था हो।
- राष्ट्रीय स्वास्थ गारंटी मिशन (National Health Assurance Mission) में निःशुल्क जांच एवं दवा के साथ स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान हो।
- निःशुल्क जांच एवं निःशुल्क दवा योजनाओं सार्वभौमिक (Universal) ही रखा जाये न कि लक्षित (Targeted).
- राज्य में निजी स्वास्थ्य तंत्र (Private Health System) को नियमित (Regulate) किया जाये एवं इस हेतु क्लीनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं नियमन) अधिनियम (Clinical Establishments, Registration and Regulation Act), 2010 को लागू किया जाये।

कृषि एवं पशुपालन :

- राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन केन्द्र (Climate Change Hub) बनाये जाये जिनमें पर्यावरण के साथ कृषि की जानकारी भी प्रदान की जाये।
- राज्य को बीज उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं स्थानीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केन्द्रों मज़बूत किया जाये।
- किसानों को कृषि उत्पादों की बेहतर कीमतें प्राप्त हो सके इसके लिये एक आयोग का गठन किया जाये।
- राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु जैविक खेती के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाये।
- खेती के औजारों, मशीनों एवं यंत्रों पर अनुदान राशि (Subsidy) बढायी जाये।
- कृषि बीमा के मुआवजे हेतु तहसील/खंड (Block) की जगह ग्राम पंचायत (GP) को इकाई माना जाये।
- कृषि पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prize) के साथ राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे बोनस को जारी रखा जाये।

- कृषि उपज मंडियों में अनाज मैदान की जगह बढ़ायी जाये तथा मंडियों की प्रबंधन व्यवस्था का सुदृढ़ करने के साथ इनके कोषों की स्थानीय अंकेक्षण किया जाये।
- सरकार अपनी बीज वितरण ऐजेंसियों को पुनर्जीवित करे।
- अकाल एवं ग्रीष्म ऋतु के दौरान चारा डीपो में बकरियों एवं भेड़ों हेतु भी चारा अनुदान का प्रावधान हो।

खाद्य सुरक्षा :

- प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 2013 को बेहतर ढंग से लागू किया जाये।
- राज्य सरकार केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की अनदेखी करते हुये लाभार्थियों की पात्रता हेतु दो प्राथमिकता (प्राथमिक एवं द्वितीयक) सूची तैयार की है, जिससे अस्पष्टता की स्थिति बनी है। सरकार को अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुये स्पष्ट लाभार्थी सूची बनानी चाहिए।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाये।
- खाद्यान की खरीद, भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाये।

बेघर एवं बेसहारा लोग :

- राज्य में बेघर एवं बेसहारा लोगों के लिये नीति बनाई जाये।
- शहरों में रहने वाले बेसहारा एवं बेघर व्यक्तियों हेतु "अरबन शेल्टर स्कीम" चालू की जाये।
- आश्रय ग्रहों (Shelter Homes) में महिलाओं, बच्चों, विकलांगों एवं वृद्धजनों के लिये अलग से सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।
- राज्य में आश्रय गृहों (Shelter Homes) की संख्या पर्याप्त नहीं है। अतः राज्य के सभी शहरों में आश्रय गृहों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्रम :

1. न्युनतम मजदूरी :

- राज्य में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण गरीमामय जीवन स्तर के आधार पर तय किया जाना चाहिए तथा इसे मंहगाई सूचकांक जोडा जाना चाहिए।
- महानरेगा के अंतर्गत मजदूरी कम से कम राज्यों की न्युनतम मजदूरी के बराबर हो।
- महानरेगा के अंतर्गत वर्ष में कम से कम 150 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाये।

2. सामाजिक सुरक्षा :

- श्रम विभाग के स्तर पर अंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों के श्रेणीवार पंजीयन की प्रकिया शुरू की जाए।
- निर्माण मजदूर बोर्ड के पास करीब 700 **करोड़ रूपये उपलब्ध है जो व्यय नहीं हुआ है ।** अतः इसकी समीक्षा कर **बजट व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।**

महिला :

1. घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून 2005 की क्रियांवितः– इसकी क्रियान्विति के लिए राज्य बजट में निम्न प्रावधान होना जरूरी है।
    - हर ब्लाक पर स्वतन्त्र संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति के उसका कार्यालय व प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाये।
    - जिला व संभाग स्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति।
    - इस कानून की क्रियान्विति से जुड़े सभी घटक, महिला अधिकारिता, पुलिस, न्यायाधीश, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, डॉक्टर, सरकारी वकील, विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के प्रशिक्षण हेतु बजट आवंटित किया जाये।
2. महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रः के संचालन हेतु बजट बढाया जाये।
3. कार्यस्थल पर यौन हिंसा निषेध, निवारण व रोकथाम कानून 2013 का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो।
4. पुलिस थाने की महिला डेस्क को पूर्णतः क्रियाशील एवं सुचारू रूप से संचालित किया जाये तथा इसके लिये बजट में प्रावधान किये जायें।
5. अल्पसंख्यक महिलाओं की मदद व 15 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए बजट प्रावधान हो। हर स्तर पर मोनिटरिंग कमेटी कार्य करे और उसे वार्षिक रिपोर्ट तैयार हो। इसके अलावा भी महिलाओं की जिदंगी से जुड़े कई विषय हैं जिनकी सूची बनकर उसका भी विश्लेषण होना चाहिए कि कितना बजट प्रावधान है कितनी जरूरत है और उसमें क्या परिवर्तन की संभावना है।
6. कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाये।

बच्चे :

- बच्चों के संरक्षण संबंधी सेवाओं एवं योजनाओं हेतु बजट बहुत ही कम है अतः बच्चों के संरक्षण हेतु बजट बढ़ाया जाये।
- समन्वित बाल विकास सेवाओं में बजट आवंटन इकाई लागत (Unit Cost) को बढ़ाया जाये।
- समन्वित बाल संरक्षण योजना का बजट बहुत ही कम है अत : इस योजना का बजट बढाया जाये।
- जुवेनाईल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act) के अंतर्गत सभी बच्चों को सुधारगृह में एक साथ रखा जाता है। भिन्न आयु समूह के बच्चों को अलग– अलग स्थानों पर रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

विशेष योग्यजन :

- विशेष योग्यजनों के प्रमाण–पत्र बनाने की प्रक्रिया को प्राथमिक एंव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित किया जाये।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत विशेष योग्यजन को 1 लाख से 5 लाख तक के ऋण देने का प्रावधान है, इस योजना की प्रक्रिया को सरल किया जाये तथा लक्ष्य बढ़ाये जायें।
- सभी प्रकार की बीपीएल योजनाओं में विशेष योग्यजन के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर लाभ दिलाया जावे।

अनुसूचित जाति एवं जनजातिः

- राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन तथा बजट आवंटन एवं व्यय को इनकी 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु इन उपयोजनाओं के संबंध में निर्मित मसौदा विधेयक को उपयुक्त सुधारों के साथ शीघ्र ही कानूनी रुप दिया जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये प्रत्येक स्तर एक व्यवस्थित आयोजना प्रक्रिया की व्यवस्था हो।
- दोनों उपयोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
- राज्य में दोनों उपयोजनाओं को पंचायतराज व्यवस्था (ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों) के बजट में भी लागू किया जाना चाहिये।
- सभी विभागों को दोनों उपयोजनाओं के अन्तर्गत दलितों एवं आदिवासियों को सीधे लाभांवित करने वाली नई योजनाएं आरंभ करनी चाहिये।
- महानरेगा के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों की बस्तियों के विकास कार्य किये जाये।
- घुमंतु जातियों के विकास हेतु बने बोर्ड को मजबूत करने के साथ उचित बजट आवंटित किया जाये।
- सम्बल ग्राम योजना का बजट सुव्यवस्थित तरीके से मानदंड के अनुसार व्यय किया जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों (विशेषकर लड़कियों के लिए) की संख्या बढ़ायी जाये।

अल्पसंख्यक विकास :

- अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित प्रचार एवं प्रसार किया जाये जिससे उनका लाभ अधिक से अधिक से लोगों तक पहुंचना सुनिशचित हो सके।
- अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में मूलभुत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं सफाई आदि के विकास हेतु विशेष प्रयास किये जायें।
- अल्पसंख्यक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु छात्रवृति योजना को अधिक सुचारू किया जाए तथा लाभान्वितों की संख्या बढ़ायी जाये।
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग के वार्षिक बजट में समुचित वृद्धि की जाये।

प्रवासी लोगः

- प्रवासी लोगों के लिये कोई नीति या कार्यक्रम नहीं है। अतः एक प्रवासी नीति (Migration Policy) बनाई जाये तथा इनकी आजीविका एवं अन्य अधिकारों को सुनिश्चित किया जाये।
- राज्य सरकार प्रवासी लोगों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के साथ इनके पुनर्वास हेतु नीति एवं योजना बनाये।

सामाजिक सुरक्षा :

- विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन राशि 500 रु से बढाकर 1000 रु प्रति माह किया जाये एवं पेंशन की राशि को महंगाई से जोड़कर इसके अनुसार पेंशन की राशि को बढाया जाये।

सड़क, बिजली एवं पानीः

1.सड़क

- गांवो में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के मरम्मत की जिम्मेवारी कम से कम 5वर्ष तक ठेकेदार की हो।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 150 की आबादी वाली ढ़ाणियों एवं बस्तियों को भी सड़क से जोड़ा जाये।

2.बिजली

- राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कुटीर ज्योति योजना का बजट बढ़ाकर इसके क्रियान्वयन को सुधारा जाये।
- सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बाजार में सौर्य ऊर्जा प्लेटों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

3.पानीः

- पंचायतों द्वारा भवन निर्माण के दौरान भवनों में जल गहण तंत्र (Water Harvesting System) की स्थापना आवश्यक रुप से की जाये।
- इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के गांवों में पानी के शुद्धीकरण की व्यवस्था की जाये।
- बांधों एवं नहरों से पेयजल वाली योजनाओं का समयबद्ध (Time frame) तरीके बजट आवंटित किया जाये।
- नलकूपों एवं कुओं को पुनर्जीवित (Revive) करने हेतु पंचायतों को बजट उपलब्ध कराया जाये।
- पेयजल हेतु आर.ओ. (RO Plant) में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाये।
- पेयजल के विकास हेतु निजी कंपनियों को शामिल करने के बजाय सामुदायिक भागीदारी (Community Participation) पर योजनायें बनाई जाये।
- आपणी योजना एवं जनता जल योजना सरीखी सामुदायिक भागीदारी वाली योजनाओं को विकसित किया जाये।